सं. 21/112/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-।। भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक: 23 अगस्त, 2013

सेवा में

श्री विक्रम सिंह,
18जी, कावेरी रॉयल अपार्टमेंट्स,
स्वर्ण जयंती नगर,
अलीगढ़-202001
(उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना मुहैया करवाना।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर लोक सभा सचिवालय के माध्यम से अंतरण पर प्राप्त आपके दिनांक 3.7.2013 के आर टी आई आवेदन का उल्लेख करना है।

2. पैरा-वार उत्तर निम्नानुसार है :-

पैरा सं. 1	मंत्रियों के लिए आचार संहिता वर्ष 1964 में बनाई गई थी। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। तदनुसार, आचार संहिता को भारत के राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया।
पैरा सं. 2	मंत्रियों का वेतन और भत्ते मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1952 तथा मंत्री (भत्ते, चिकित्सा उपचार एवं अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 द्वारा शासित होते हैं। अपेक्षित सूचना वेबसाईट अर्थात् www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

3. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

O/C

भवदीय,

(आशुतोष जैन)
निदेशक (सी एस-।।) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष : 23438147

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :-

10/2012
23/8/13

श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 15.07.2013 के का.ज्ञा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

सूचना का अधिकार
एक जन आन्दोलन
TRAP
A Group of RTI Activist
RIGHT TO INFORMATION
Transparent Reliable Accountable People's movement
18 G, KAVERI ROYAL APPARTMENTS, SWARNA-JAYANTI NAGAR, ALIGARH -202001
Founder Member : RTI COUNCIL OF U.P. e-mail:rtitrap@gmail.com
☎ 0571-274-2625
09359724625

आवेदन सूचना प्राप्ति कानून के अंतर्गत

सन्दर्भ संख्या ट्रैप / ६३६ दिनांक ०३ जुलाई २०१३

पत्राचार में कृपया उपरोक्त सन्दर्भ नंबर अवश्य लिखे अन्यथा आपका उत्तर अपने आवेदन के साथ नहीं जौड़ पायेंगे

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
लोक सभा सचिवालय ,
लोक सभा, नई दिल्ली-११०००१.

सूचना प्राप्ति कानून के अंतर्गत रु.१०/- का पोस्टल आर्डर संख्या १७ एँफ़ २३३७५४ संलग्न करते हुए आपसे निम्न सूचना प्रदान करने का आग्रह करते है

श्री आशुतोष जैन , निदेशक (सी एस) , भारत सरकार , गृह मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या २१/१२०/२०१२-एस एण्ड डी दिनांक २६ अक्तूबर २०१२ के साथ संलग्न कर , मंत्रियो के लिए आचार संहिता की एक प्रति हमें प्रेषित की (उपरोक्त पत्र एवम प्रेषित आचार संहिता की प्रतिलिपि संलग्न)

१. उपरोक्त आचार संहिता को जारी करने की तारीख एवम इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है तो उसकी सत्यापित छाया प्रति प्रदान करे
२. केन्द्रीय मंत्रियो को सरकारी कोष से वेतन एवम अन्य भत्ते प्रदान किये जाते है , अतः कानूनन सेवारत कर्मचारियों की श्रेणी में आते है , अतः भारत सरकार द्वारा प्रचलित सेवा नियमावली एवं सेवा शर्तो की एक सत्यापित प्रतिलिपि प्रेषित करे

RIGHT TO INFORMATION

- धारा २०(१) एवं २०(२) के अंतर्गत अर्थ दंड एवं हर्जाने का प्रावधान है
- धारा ७(९) के अंतर्गत सूचना उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए जिस प्रारूप में मांगी गई है
- धारा ७(३)(अ) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क हेतु विवरण संगणक सहित देना होगा
- धारा ८(जे) के अंतर्गत जो भी सूचना भारतीय संसद या राज्यों की विधान सभाओं को मना नहीं की जा सकती आवेदन कर्ता को भी मना नहीं की जायेगी
- यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

आवेदनकर्ता

डॉ. विक्रम सिंह
TRAP
A Group of RTI Activist
Transparent Reliable Accountable People's movement

५/१
१७